अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून–248001

ई–मेलः ayushmanuttarakhand@gmail.com

पत्रांक–AAUY /2019-20/ [illegible] दिनांकः [illegible] /06/19

कारण बताओ नोटिस

अली नर्सिंग होम, अलीखान चौक, काशीपुर, उधमसिंह नगर को पूर्व में इस कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश संख्या अ0आ0उ0यो0/2019–20/एम0 –क्यू/03/74 दिनांक 20 अप्रैल 2019 के कम में जाँच समिति द्वारा की गई जाँचोपरांत उपलब्ध करवाई गई जाँच आख्या दिनांक 30 अप्रैल 2019 एवं अली नर्सिंग होम, द्वारा दिये गए जवाब दिनांक 28 अप्रैल 2019 के कम में जाँच आख्या का अध्ययन एवं परीक्षण किया गया। जाँच आख्या का अध्ययन एवं परीक्षण करने उपरांत निम्न तथ्य इस प्रकार हैं:–

1. **अली नर्सिंग होम, अलीखान चौक, काशीपुर, उधमसिंह नगर** (Hospital ID: HOSP5P02907) द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध (Empanel) कराने हेतु निर्धारित प्रकिया के अनुसार राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) को ऑन लाइन आवेदन पत्र दिया। उनके सूचीबद्धता हेतु आवेदन–पत्र को स्वीकार करते हुए अली नर्सिंग होम एवं SHA के मध्य दिनांक 22.12.2018 को अनुबन्ध किया गया।
2. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना को कार्यन्वित करने हेतु राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) द्वारा नियुक्त की गयी "कियान्वयन सहायता ऐजेन्सी" (Implementation Support Agency-ISA) द्वारा अली नर्सिंग होम के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं प्रमाणों का परीक्षण करने के उपरान्त यह विदित हुआ कि अली नर्सिंग होम द्वारा कतिपय अनियमिततायें, अनुबन्ध का उल्लंघन, धोखाधड़ी एवं दुरभि संधि किया जाना प्रथम दृष्टतया प्रतीत होता है। अतः पत्रांक अ0आ0उ0यो0/2019–20–MAQ/03/74 दिनांक 20 अप्रैल, 2019 द्वारा विस्तृत जाँच हेतु डॉ0 अमलेश कुमार सिंह, सहायक निदेशक, SHA तथा डॉ0 मदन मोहन मेडिकल ऑफिसर, ISA की दो सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया गया।

01.06.19

3. जाँच समिति ने दिनांक 24 अप्रैल, 2019 को अली नर्सिंग होम, काशीपुर का निरीक्षण किया। तत्पश्चात समिति द्वारा पत्रांक अ0आ0उ0यो0/2019–20/जाँच आख्या/गोपनीय/99 दिनांक 30 अप्रैल, 2019 द्वारा जाँच आख्या उपलब्ध करायी गयी।

4. अली नर्सिंग होम, काशीपुर, के संचालक डा0 मोहम्मद अकबर अली द्वारा उनके अस्पताल पर दिनांक 20 अप्रैल, 2019 के आदेश द्वारा लगाये गये आरोपों का उत्तर भी E-Mail द्वारा दिनांक 28 अप्रैल, 2019 को दिया गया।

5. अली नर्सिंग होम पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में उनका प्राप्त उत्तर, जाँच समिति की आख्या तथा अभिलेखों के अध्ययन/परीक्षण के उपरान्त विश्लेषण आगे के पैराग्राफस् में दिया गया है।

6. 6.1. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत अली नर्सिंग होम द्वारा 13 मरीजों के इलाज हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केलाखेड़ा, बाजपुर, जिला ऊधम सिंह नगर (जो कि राजकीय चिकित्सा केन्द्र है) से सन्दर्भण (Referral) प्राप्त किये गये हैं।

6.2 राजकीय चिकित्सा केन्द्र से मरीज को निजी चिकित्सालय में रेफर करने हेतु स्थापित व्यवस्था (Established Practice) के अनुसार केवल मेडिकल ऑफिसर द्वारा ही रेफरल किया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा में, उस अवधि में, जिसमें उक्त 13 मरीजों को रेफर किया गया है, कोई भी मेडिकल ऑफिसर तैनात (Posted) नहीं रहा है। उक्त 13 मरीजों के रेफरल को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा के फार्मेसिस्ट श्री अनुराग रावत द्वारा निर्गत किया गया है, जो कि रेफरल निर्गत करने के लिए अधिकृत नहीं हैं।

6.3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा द्वारा निर्गत रेफरल में फार्मेसिस्ट द्वारा हस्ताक्षर करने के पश्चात "Medical Officer,P.H.C Kelakhera (U.S Nagar)" की मोहर लगायी गयी है, जो कि अभिलेखों से पुष्ट होता है। इस प्रकार न केवल अनधिकृत व्यक्ति द्वारा रेफरल निर्गत किये गये हैं, वरन् Medical Officer की मोहर लगा कर उन्हें निर्गत करना एक लोक सेवक (Public servant) का गम्भीर अवैधानिक/आपराधिक कृत्य है।

6.4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा द्वारा निर्गत रेफरल सम्बन्धी अभिलेखों से यह भी स्पष्ट होता है कि रेफरल हेतु स्थापित व्यवस्था (Established Practice) के विरूद्व कार्य करते हुए रेफरल में "अली नर्सिंग होम" का नाम भी इंगित किया गया है। यही नहीं निजी चिकित्सालय को उसकी मोहर "ALI NURSHING HOME Ali Khan Chowk,Kashipur

01.06.19

(U.S Nagar)'' लगा कर रेफर किया गया है। प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, केलाखेड़ा द्वारा एक निजी अस्पताल की मोहर को बनवाना या उसे निजी अस्पताल से प्राप्त करके अपने पास रख कर उसका रेफरल हेतु उपयोंग करना एक गंभीर अवैधानिक कार्य है।

6.5 डा0 मोहम्मद अकबर अली, प्रबन्धक, अली नर्सिंग होम के ओर से 28.04.2019 को रेफरल सम्बन्धी अनियमितता का निम्न उत्तर दिया गया है:–

''अली नर्सिंग होम में कुल 72 मरीजों में से 13 मरीजों का रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा, जिला उधमसिंह नगर से लिया गया हैं। इन मरीजों ने अपना रेफरल पहले काशीपुर से बनवाने का प्रयास किया था परन्तु, काशीपुर से रेफरल न बनने पर ये मरीज केलाखेड़ा से रेफरल बनवाकर लाए थे। इसमें किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी/षड़यंत्र नहीं है।''

6.6. पैरा 6.1 से 6.5 के विवरण के आधार पर डॉ0 मोहम्मद अकबर अली, प्रबन्धक, अली नर्सिंग होम का उपरोक्त स्पष्टीकरण नितान्त असन्तोषजनक है। उनका यह कहना कि ''इन मरीजों ने अपना रेफरल पहले काशीपुर से बनवाने का प्रयास किया था, परन्तु काशीपुर से रेफरल न बनने पर ये मरीज केलाखेड़ा से रेफरल बनवा कर लाये थे'' अत्यन्त आश्चर्यजनक है। काशीपुर (जहाँ राजकीय चिकित्सालय है तथा Medical Officer उपलब्ध है) से रेफरल न बनना और ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (केलाखेड़ा) से रेफरल बनना जहाँ Medical Officer उपलब्ध नहीं है तथा Medical Officer की मोहर के साथ अनधिकृत व्यक्ति द्वारा रेफरल निर्गत होने से यह सिद्ध होता है कि अली नर्सिंग होम द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत अवैधानिक लाभ प्राप्त करने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा के साथ साठ–गाठ/दुरभि संधि करके धोखाधड़ी की गयी है। यह भी स्पष्ट रूप से सिद्ध होता हे कि इस आपराधिक कृत्य हेतु अली नर्सिंग होम द्वारा अपनी मोहर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा को उपयोग करने हेतु दी गयी।

7. 7.1. अली नर्सिंग होम में भर्ती किये गये कुल 72 मरीजों में से 55 को मरीजों एमरजेन्सी में भर्ती किया गया है जो कि अत्यन्त असामान्य संख्या है और एमरजेन्सी नहीं होते हुए भी इमरजेन्सी दिखाना दर्शाता है ताकि मरीजों को राजकीय चिकित्सा केन्द्र से रेफर कराने के प्रविधान से बचा जा सके।

7.2. इस सम्बन्ध में डॉ0 मो0 अकबर अली, प्रबन्धक, अली नर्सिंग होम द्वारा अपने उत्तर दिनांक 28.04.2019 में निम्न स्पष्टीकरण दिया गया है:–

31.06.19

"72 मरीजो में से 55 मरीजों को इमरजेंसी में भर्ती मरीजो की Clinical Findings और मरीज के तीमारदारों की बार–बार गुजारिश के बाद ही भर्ती किया गया था। जिससे कि मरीजों के साथ कोई अनहोनी घटना न हो सके और कार्ड धारकों को भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिल सके। यह योजना दिनांक 25/12/2018 को शुरू हुई थी और दिनांक 23/04/2019 तक लगभग सिर्फ 120 दिन चल चुकी हैं। अस्पताल द्वारा 120 दिनों में केवल 55 मरीजों को ही इमरजेंसी में भर्ती किया गया है, जो कि 2 दिन में 1 मरीज का हिसाब बनता है। इसलिए इस बिंदु में भी किसी प्रकार की कोई/धोखाधड़ी/षड़यंत्र का संदेह उत्पन्न नही होता है।"

7.3. अभिलखों के परीक्षण से यह प्रतीत होता है कि ये केसेस इमरजेंसी के नहीं है, वरन् रेफरल को avoid करने के लिए इन्हें इमरजेंसी में दिखाया गया है। अली नर्सिंग होम तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुये अनुबन्ध में इमरजेन्सी में भर्ती के सम्बन्ध में सेक्शन 4 पैरा 4 में निम्न प्राविधान है:

"Section 4: EHCP Services- Admission Procedure

Para 4. Emergency admission: In case of emergency the beneficiary may get the treatment after getting TPIN (Telephonic patient Identification Number) from the call center and same will be recorded...."

अली नर्सिंग होम द्वारा इन केसेस में TPIN नहीं लिया गया है अतः चिकित्सालय का यह कृत्य अनुबन्ध का उल्लंघन है तथा साथ ही धोखाधड़ी का संदेह उत्पन्न करता है।

7.4 अभिलेखों के परीक्षण से यह भी स्पष्ट होता है कि इमरजेन्सी में भर्ती किये गये कुल 55 रोगियों में से 21 मरीजों को कुल 5 दिन/6 दिन भर्ती रखा गया है, किन्तु उनके इलाज के लिए भर्ती की सम्पूर्ण अवधि तथा भर्ती से पूर्व 7 दिन में कोई पैथोलॉजी/रेडियोलॉजी से सम्बन्धित जाँच (Test) नहीं की गयी है, जैसा कि निम्न तालिका (Table) से स्पष्ट है:–

01.06.19

Table: List of emergency cases where no investigation was done during Hospitalization or 7 Days before Hospitalization

S.No.	Case No.	Diagnosis	Hospitalization Period (in Days)	Investigations/Tests	Pre-auth approved amount	Paid/Unpaid
1.	CASE/HOSP5P02907/D10965	Enteric Fever	5 Days	NIL	9000	Paid
2.	CASE/HOSP5P02907/D21215	Ac Gastro enteritis with Dehydration	5 Days	NIL	9000	Paid
3.	CASE/HOSP5P02907/E7294	Ac Gastro enteritis with Dehydration	5 Days	NIL	9000	Paid
4.	CASE/HOSP5P02907/E4469	Enteric Fever	5 Days	NIL	9000	Paid
5.	CASE/HOSP5P02907/S6944	Ac Gastro enteritis with Dehydration	5 Days	NIL	9000	Paid
6.	CASE/HOSP5P02907/S4901	Pyresia of unknown orgin	5 Days	NIL	9000	Paid
				Total	**54000**	
7.	CASE/HOSP5P02907/D17059	Pneumonia	6 Days	NIL	10800	Unpaid
8.	CASE/HOSP5P02907/D18558	PUO	5 Days	NIL	9000	Unpaid
9.	CASE/HOSP5P02907/D24091	Enteric Fever	5 Days	NIL	9000	Unpaid
10.	CASE/HOSP5P02907/D31970	Enteric Fever	5 Days	NIL	9000	Unpaid
11.	CASE/HOSP5P02907/D31994	Enteric Fever	5 Days	NIL	9000	Unpaid
12.	CASE/HOSP5P02907/D32029	Enteric Fever	5 Days	NIL	9000	Unpaid
13.	CASE/HOSP5P02907/D33523	Renal Colic	6 Days	NIL	10800	Unpaid
14.	CASE/HOSP5P02907/D33547	Enteric Fever	5 Days	NIL	9000	Unpaid
15.	CASE/HOSP5P02907/D43031	Acute Asthametic Attack	5 Days	NIL	9000	Unpaid
16.	CASE/HOSP5P02907/D43916	Enteric Fever	5 Days	NIL	9000	Unpaid
17.	CASE/HOSP5P02907/D53368	Enteric Fever	5 Days		9000	Unpaid
18.	CASE/HOSP5P02907/D7113	Renal Colic	5 Days	NIL	9000	Unpaid
19.	CASE/HOSP5P02907/E1290	PUO	5 Days	NIL	9000	Unpaid
20.	CASE/HOSP5P02907/E20154	PUO	6 Days	NIL	10800	Unpaid

01.06.19

21.	CASE/HOSP5P02907/E30414	Enteric Fever	6 Days	NIL	10800	Unpaid
				Total	**142200**	

7.5 उक्त तालिका के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि उक्त मरीजों को एमरजेन्सी में भर्ती किया गया, किन्तु उनकी सम्पूर्ण भर्ती की अवधि (5 या 6 दिन) में कोई जाँच (Test) या परीक्षण (investigation) नहीं किया गया हैं तथा इन मरीजों के भर्ती होने के पूर्व के 7 दिनों की भी कोई जाँच (Test) या परीक्षण (Investigation) नहीं हुआ, जो अली नर्सिंग होम द्वारा की गयी चिकित्सा/उपचार पर पूर्ण रूप से प्रश्न चिन्ह लगा देता है।

7.6 अली नर्सिंग होम द्वारा साधारण बीमारी के केसेज को रेफरल की प्रक्रिया को avoid करने के लिए इमरजेन्सी में भर्ती करके अनुबन्ध में TPIN लिए जाने के प्राविधान का उल्लंघन किया गया है। उक्त विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि अली नर्सिंग होम द्वारा न केवल अनुबन्ध का उल्लंघन किया गया है, वरन उक्त 21 मरीजों का इलाज किया जाना भी संदिग्ध है। अतः अली नर्सिंग होम में कुल 72 मरीजों में से 55 मरीजों को एमरजेन्सी में भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में संचालक, अली नर्सिंग होम द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है।

8. 8.1 अभिलेखों के अनुसार अली नर्सिंग होम में 31 मरीजों को Enteric fever तथा 13 मरीजों को Pyroxia of Unkown Origin (PUO) के उपचार के लिए भर्ती किया गया है।

8.2 उक्त आरोप के सम्बन्ध में अली नर्सिंग होम द्वारा अपने उत्तर में निम्न स्पष्टीकरण दिया गया है:–

"72 मरीजों मे से 31 को Enteric fever With cough and Breathlessness, 13 मरीजों को Pyroxia of Unknown Origin, 08 को Acute Gastroenteritis with severe Dehydration, 06 को U.T.I with Burning Urine, 04 को Acute Asthma Attack, 03 Pneumonia with Chest pain, 02 को Renal Colic 02 को Recurrent Vomiting with Severe Dehydration, 02 को Acute Bronchitis आदि लगभग 09 पैकजों के अन्तर्गत उपचार किया गया है। हमारा अस्पताल जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी के लिए पैनल में है। ये 09 पैकेज अटल आयुष्मान योजना की लिस्ट में हैं और आयुष्मान योजना की लिस्ट के अनुसार ही हमनें मरीजों का इलाज किया है। जो अस्पताल जिस विभाग (विशेषता) के लिए पैनल में है, उस अस्पताल में उसी प्रकार के मरीजों का

01.06.19

इलाज होना स्वभाविक है और उसी प्रकार का मरीज उस अस्पताल में आएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं हैं।''

8.3 अभिलेखों के परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि Enteric fever तथा PUO के कुल 31 केसेज में से किसी भी मरीज का ELISA विधि से *Salmonella typhi* (IgM एवं IgG) test नहीं कराया गया है, जो कि वाँछनीय था।

8.4 अभिलेखों के परीक्षण से यह भी स्पष्ट होता है कि **Enteric fever** तथा **PUO** के कुल 44 केसेज में से 18 केसेज में अली नर्सिंग होम द्वारा मरीजों के भर्ती की सम्पूर्ण अवधि तथा भर्ती से 7 दिन पूर्व में कोई भी पैथोलॉजी/रेडियोलॉजी की जाँच (**Test**) नहीं की गयी है, जैसा कि निम्न तालिका (**Table**) से स्पष्ट होता है:–

Table: List of Enteric Fever & PUO case where no investigation was done during Hospitalization or 7 Days before Hospitalization

S. No.	Case No.	Diagnosis	Hospitalization Period (in Days)	Investigations /Tests	Pre-auth approved amount	Paid/Unpaid
1.	CASE/HOSP5P02907/D11760	Enteric Fever	5 Days	NIL	9000	Paid
2.	CASE/HOSP5P02907/D10965	Enteric Fever	5 Days	NIL	9000	Paid
3.	CASE/HOSP5P02907/E10557	PUO	5 Days	NIL	9000	Paid
4.	CASE/HOSP5P02907/E1290	PUO	5 Days	NIL	9000	Paid
5.	CASE/HOSP5P02907/E4469	Enteric Fever	5 Days	NIL	9000	Paid
6.	CASE/HOSP5P02907/E906	Enteric Fever	5 Days	NIL	9000	Paid
			Total		**54000**	
7.	CASE/HOSP5P02907/D18558	PUO	5 Days	NIL	9000	Unpaid
8.	CASE/HOSP5P02907/D24091	Enteric Fever	5 Days	NIL	9000	Unpaid
9.	CASE/HOSP5P02907/D31970	Enteric Fever	5 Days	NIL	9000	Unpaid
10.	CASE/HOSP5P02907/D31994	Enteric Fever	5 Days	NIL	9000	Unpaid
11.	CASE/HOSP5P02907/D32029	Enteric Fever	5 Days	NIL	9000	Unpaid
12.	CASE/HOSP5P02907/D33547	Enteric Fever	5 Days	NIL	9000	Unpaid
13.	CASE/HOSP5P02907/D43916	Enteric Fever	5 Days	NIL	9000	Unpaid
14.	CASE/HOSP5P02907/D46884	Enteric Fever	5 Days	Nil	9000	Unpaid

21.06.19

15.	CASE/HOSP5P02907/D53368	Enteric Fever	5 Days	Nill	9000	Unpaid
16.	CASE/HOSP5P02907/E20154	PUO	6 Days	NIL	10800	Unpaid
17.	CASE/HOSP5P02907/E14762	Enteric Fever	5 Days	NIL	9000	Unpaid
18.	CASE/HOSP5P02907/E30414	Enteric Fever	6 Days	NIL	10800	Unpaid
19.	CASE/HOSP5P02907/D53368	Enteric fever	5 Days	Nill	9000	Unpaid
			Total		**120600**	

8.5 उक्त तालिका के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि Enteric Fever तथा PUO के 18 केसेज में मरीजों को 5/6 दिन के लिए भर्ती रखा गया, किन्तु भर्ती की सम्पूर्ण अवधि तथा भर्ती से 7 दिन पूर्व में इन मरीजों की कोई भी जाँच (Test) या परीक्षण (Investigastion) नहीं की गयी तथा उन्हें निश्चित अवधि तक (5 या 6 दिन) भर्ती रख कर एक साथ डिस्चार्ज भी कर दिया गया। अतः इन 18 मरीजों का उपचार किया जाना पूर्ण रूप से संदिग्ध है।

8.6.यह भी प्रासंगिक है कि Enteric fever तथा PUO के मरीजों का इलाज सर्दी के मौसम में किया गया है, जबकि इस मौसम में यह बीमारी नगण्य ही होती है। इस प्रकार कुल 72 मरीजों में से 44 मरीजों को उक्त पैकेज में किया गया इलाज सर्दी के मौसम में किया जाना संदिग्ध है।

8.7. उक्त विवरण के आधार पर अली नर्सिंग होम द्वारा इस आरोप के सम्बन्ध में दिया गया स्पष्टीकरण नितान्त असंतोषजनक हैं।

8.8. अतः अली नर्सिंग होम द्वारा कुल 72 मरीजों में से 44 मरीजों को Enteric fever तथा PUO पैकेज में किया गया उपचार फर्जी प्रतीत होता है तथा यह अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत अवैधानिक क्लेम लेने हेतु किया गया हैं।

9. 9.1. अली नर्सिंग होम द्वारा कुल 72 मरीजों में से 56 मरीजों को 5 दिन के लिए भर्ती करके 9000 रू0 प्रति मरीज तथा 14 मरीजों को 6 दिन के लिए भर्ती करके प्रति मरीज 10,800 रूपये का क्लेम लिया गया है।

9.2. उक्त आरोप के सम्बन्ध में अली नर्सिंग होम द्वारा अपने उत्तर दिनांक 28.04.2019 में निम्न स्पष्टीकरण दिया गया है:–

"56 मरीजों का 5 दिन का एनहैसमेंट और 14 मरीजों का 6 दिन का एनहैसमेंट, मरीजों की Clinical findings के अनुसार है। जिससें की मरीजों का पूरा इलाज हो सके और इमरजेंसी में Clinical findings आई0पी0डी0 की थी इसलिए उनको भर्ती करने के बाद ही इलाज किया गया। इस बिन्दु में भी कोई धोखाधड़ी या षड्यंत्र नही है।"

01.06.19

9.3 अभिलेखों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अली नर्सिंग होम द्वारा 5/6 दिन के लिए भर्ती किये गये मरीजों में से 26 मरीजों के भर्ती होने की सम्पूर्ण अवधि तथा भर्ती से पूर्व 7 दिनों में पैथोलॉजी/रेडियोलॉजी जाँच (Test) नही की गयी है, जैसा कि निम्न तालिका (Table) से स्पष्ट है:–

Table: Patient admitted either for 5 to 6 days but no investigation was done during hospitalalization or 7 Days before Hospitalization

S.No.	Case No.	Diagnosis	Hospitalization Period (in Days)	Investigations/Tests	Pre-auth approved amount	Paid/Unpaid
1.	CASE/HOSP5P02907/D11760	Enteric Fever	5 Days	NIL	9000	Paid
2.	CASE/HOSP5P02907/D10965	Enteric Fever	5 Days	NIL	9000	Paid
3.	CASE/HOSP5P02907/D21215	Ac Gastro enteritis with Dehydration	5 Days	NIL	9000	Paid
4.	CASE/HOSP5P02907/E10557	PUO	5 Days	NIL	9000	Paid
5.	CASE/HOSP5P02907/D7425	Pneumonia	5 Days	NIL	9000	Paid
6.	CASE/HOSP5P02907/D7113	Renal Colic	5 Days	NIL	9000	Paid
7.	CASE/HOSP5P02907/E1290	PUO	5 Days	NIL	9000	Paid
8.	CASE/HOSP5P02907/E7294	Ac Gastro enteritis with DehyDration	5 Days	NIL	9000	Paid
9.	CASE/HOSP5P02907/E4469	Enteric Fever	5 Days	NIL	9000	Paid
10.	CASE/HOSP5P02907/E906	Enteric Fever	5 Days	NIL	9000	Paid
11.	CASE/HOSP5P02907/S6944	Ac Gastro enteritis with Dehydration	5 Days	NIL	9000	Paid
12.	CASE/HOSP5P02907/S4901	Pyresia of unknown orgin	5 Days	NIL	9000	Paid
			Total		**108000**	
13.	CASE/HOSP5P02907/D17490	Pericardial/Pleral Effusion	6 Days	NIL	10800	Unpaid
14.	CASE/HOSP5P02907/D18558	PUO	5 Days	NIL	9000	Unpaid
15.	CASE/HOSP5P02907/D24091	Enteric Fever	5 Days	NIL	9000	Unpaid
16.	CASE/HOSP5P02907/D31970	Enteric Fever	5 Days	NIL	9000	Unpaid
17.	CASE/HOSP5P02907/D31994	Enteric Fever	5 Days	NIL	9000	Unpaid
18.	CASE/HOSP5P02907/D32029	Enteric Fever	5 Days	NIL	9000	Unpaid
19.	CASE/HOSP5P02907/D33523	Renal Colic	6 Days	NIL	10800	Unpaid
20.	CASE/HOSP5P02907/D33547	Enteric Fever	5 Days	NIL	9000	Unpaid
21.	CASE/HOSP5P02907/D42196	UTI	5 Days	NIL	9000	Unpaid
22.	CASE/HOSP5P02907/D43031	Acute Asthametic Attack	5 Days	NIL	9000	Unpaid
23.	CASE/HOSP5P02907/D43916	Enteric Fever	5 Days	NIL	9000	Unpaid

01.06.19

24.	CASE/HOSP5P02907/E20154	PUO	6 Days	NIL	10800	Unpaid
25.	CASE/HOSP5P02907/E14762	Enteric Fever	5 Days	NIL	9000	Unpaid
26.	CASE/HOSP5P02907/E30414	Enteric Fever	6 Days	NIL	10800	Unpaid
			Total		**133200**	

9.4. उक्त विवरण के आधार पर अली नर्सिंग द्वारा दिया गया उत्तर नितान्त असन्तोषजनक है। यह असम्भव है कि 56 मरीजों को 5 दिन तथा 14 मरीजों को 6 दिन की निश्चित अवधि तक अस्पताल में भर्ती रख कर एक ही दिन डिस्चार्च किया जाये तथा इस 5/6 दिन की अवधि में 26 मरीजों की कोई जाँच (Test) भर्ती के दौरान तथा भर्ती से पूर्व के 7 दिनों में नहीं की जाये। अतः यह सिद्ध होता है कि अली नर्सिंग होम द्वारा मरीजों का अनावश्यक रूप से फर्जी क्लेम लेने हेतु उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है।

10.10.1. अली नर्सिंग होम में कुल 72 मरीजों में से 64 मरीजों की डिस्चार्च समरी डॉ0 बसन्त कुमार डालमिया द्वारा हस्ताक्षरित है, जबकि सूचीबद्ध किये जाने हेतु अली नर्सिंग होम द्वारा दिये आवेदन–पत्र में अस्पताल हेतु जो Doctors दर्शाये गये हैं, उनमें डॉ0 बसन्त कुमार डालमिया का नाम नहीं है।

10.2. इस सम्बन्ध में अली नर्सिंग होम द्वारा दिये गये उत्तर दिनांक 28.04.2019 में निम्न स्पष्टीकरण दिया गया है:–

"Hospital Empanelment के लिये आवेदन दिनांक 02/08/2018 को किया गया था। आवेदन करते समय कुल 03 डॉक्टरों के नामों का उल्लेख किया गया था। दिनांक 31/01/2019 को डॉ0 बसन्त कुमार डालमिया ने अपनी सेवाएं अली नर्सिंग होम में देना शुरू की थी इसलिए दिनांक 31/01/2019 को ही एनहैसमेंट आयुष्मान भारत की साइट पर कर दिया गया था। इस प्रकार डिस्चार्ज समरी व इलाज इनके द्वारा किया गया है। इस बिन्दु में कोई धोखाधडी या षड्यंत्र नहीं है।"

10.3. अली नर्सिंग होम द्वारा सूचीबद्धता हेतु दिये गये आवेदन–पत्र में निम्न तीन चिकित्सक दर्शाये गये हैं:–

1. डॉ0 मनेश कुमार
2. डॉ0 एस0 के खन्ना
3. डॉ0 एम0एम0ए0 चौधरी

अभिलेखों का परीक्षण करने से विदित है कि डा0 मनेश तथा डॉ0 एस0 के0 खन्ना काफी समय पूर्व से ही अली नर्सिंग होम में कार्यरत नहीं हैं, अतः अली नर्सिंग होम द्वारा इन

31.06.19

चिकित्सकों के अस्पताल में कार्यरत नहीं रहने की कोई सूचना राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) को नहीं दी है, जो अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन है।

10.4. अली नर्सिंग होम में तीसरे डॉक्टर के रूप में डा0 एम0एम0ए0 चौधरी को कार्यरत दिखाया गया है। अभिलखों के परीक्षण से विदित हुआ है कि डा0 एम0 एम0 ए0 चौधरी MBBS चिकित्सक नहीं हैं। डा0 चौधरी आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में किये गये अनुबन्ध, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA) तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) की गाइडलाईन्स के अनुसार केवल MBBS चिकित्सक ही कार्यरत हो सकते हैं। इस प्रकार अली नर्सिंग होम द्वारा अनुबन्ध तथा गाइडलाईन्स की महत्वपूर्ण शर्त का उल्लघंन करके धोखाधड़ी की गयी है।

10.5. अभिलखों के परीक्षण से यह भी स्पष्ट होता है कि अली नर्सिंग होम में कोई भी Round the Clock चिकित्सक उपलब्ध नहीं है, जो कि अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार अनिवार्य है। अतः इस महत्वपूर्ण शर्त का भी उल्लंघन किया गया है।

10.6. अली नर्सिंग होम द्वारा दिनांक 31.01.2019 को डॉ0 बसन्त कुमार डालमिया को अस्पताल में चिकित्सक के रूप में सम्मिलित करने हेतु ऑन लाइन आवेदन किया गया था, जिसे SHA द्वारा अस्वीकार करते हुए Online System पर अली नर्सिंग होम को सूचित कर दिया था।

10.7. इस प्रकार अली नर्सिंग होम द्वारा मिथ्या कथन दिये गये, तथ्यों को छिपाया गया तथा अनुबन्ध की शर्तो का उल्लघंन किया गया है, और अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत धोखाधड़ी करके अवैधानिक लाभ लिया गया है।

अली नर्सिंग होम (Hospital ID: HOSP5P02907), अलीखान चौक, काशीपुर, उधमसिंहनगर को उक्त वर्णित अनियमितताओं हेतु यह **"कारण बताओ नोटिस"** दिया जाता है कि क्यों न–

i. अली नर्सिंग होम की सूचीबद्धता निरस्त करते हुए उसका de-empanelment कर दिया जाये;

ii. बिंदु संख्या 7, 8 एवं 9 में वर्णित कुल 34 केसों के क्लेम की धनराशि रु0 316800/– जो चिकित्सालय द्वारा प्राप्त कर ली गई है, वह अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना सोसाइटी को अली नर्सिंग होम द्वारा वापिस की जाय और अनुबंध का उल्लंघन करने के कारण अर्थदण्ड भी लगा दिया जाये।

31.06.19

iii. बिंदु संख्या 7, 8 एवं 9 में वर्णित अली नर्सिंग होम के शेष लम्बित 40 क्लेमों (धनराशि रू0 352800/–) को निरस्त कर दिया जाये, और अनुबंध का उल्लंघन करने के कारण अर्थदण्ड भी लगा दिया जाये।

अली नर्सिंग होम अलीखान चौक, काशीपुर, उधमसिंहनगर द्वारा उक्त "कारण बताओ नोटिस" का उत्तर देने के लिए नोटिस प्राप्ति की तिथि से 15 दिन का समय दिया जाता है। अली नर्सिंग होम के वर्तमान में लम्बित समस्त देयकों को अंतिम निर्णय होने तक प्रतीक्षा (abeyance) में रखा जाए। प्रकरण में जाँच समिति द्वारा की गई जाँच आख्या दिनांक 30 अप्रैल 2019 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। यद्यपि उक्त आरोपों के सम्बन्ध में स्वयं अली नर्सिंग होम के पास सभी अभिलेख उपलब्ध हैं, तथापि अली नर्सिंग होम को यह अवसर भी दिया जाता है कि वह उक्त 15 दिन की अवधि में किसी भी कार्य दिवस पर आकर अभिलेखों का निरीक्षण भी कर सकते हैं। यदि निर्धारित अवधि में चिकित्सालय द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह समझा जायेगा कि चिकित्सालय द्वारा उक्त आरोपों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है और चिकित्सालय के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई अमल में लायी जायेगी। इस कारण बताओ नोटिस को डॉ0 मोहम्मद अकबर अली, संचालक, अली नर्सिंग होम, काशीपुर को ई–मेल से तथा रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाये।

31.06.19

(डा0 अभिषेक त्रिपाठी)
निदेशक– प्रशासन
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण, नई दिल्ली।
2. राज्य समन्वयक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण, नई दिल्ली।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
5. अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, देहरादून।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, देहरादून।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।

2. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
4. समस्त निदेशक, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण।
5. राज्य समन्वयक, कियान्वयन सहायता एजेंसी, देहरादून।
6. आई0टी0 सह डाटा प्रबंधक को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
7. डॉ0 मोहम्मद अकबर अली, संचालक, अली नर्सिंग होम, अलीखान चौक, काशीपुर, उधमसिंह नगर।

01-06-19

(डा0 अभिषेक त्रिपाठी)
निदेशक– प्रशासन
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना